न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 37 / 2019 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्रीमती चांदी पत्नी हरिराम जी बलाई (सालवी), निवासी मुरडा हाल निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्रीमती घीसी पुत्री हरिराम जी बलाई (सालवी), निवासी मुरडा हाल निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्रीमती ज्ञानी पुत्री हरिराम जी बलाई (सालवी), निवासी मुरडा हाल निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्रीमती नाथी पुत्री हरिराम जी बलाई (सालवी), निवासी मुरडा हाल निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा (राज.)
5. श्रीमती कंकुबाई पुत्री सोला जी बलाई (सालवी), निवासी मुरडा हाल निवासी झडोल, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा (राज.)
6. श्रीमती केशी पुत्री सोला जी बलाई (सालवी), निवासी मुरडा हाल निवासी झडोल, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता टेका जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रोडीलाल उर्फ रोडू पिता टेका जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. उदा पिता रामा जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती सोहनी बेवा रामा जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. हजारी पिता नारायण जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. शंकर पिता तलोक जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. गोपू पिता तलोक जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. नाथु पिता तलोक जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. भगा पिता चेना जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

10. श्यामलाल पिता चेना जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
11. प्रभु पिता चेना जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
12. केशु पिता चेना जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
13. नन्दा पिता चेना जी बलाई, निवासी मुरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
14. रतनलाल पिता हरिराम जी बलाई, निवासी सालेरा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाडा (राज.)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 06.07.2015 प्र.सं. 25/2013

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री आर. एल. रावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1 से 13

———::———

निर्णय **दिनांक 27–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–07–2015 को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 07–10–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 13 की ओर से वकील श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे विवादित भूमियों की खातेदार हैं, फिर भी वादीगण ने

उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में जमाबन्दी की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वह विवादित भूमियों की सहखातेदार दर्ज हैं। अतः न्यायहित में उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी तथा मुकदमा नंबर 14/18 में सम्मन दिनांक 26–07–2018 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 06–07–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील 60 दिवस अर्थात दिनांक 05–09–2015 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील दिनांक 07–10–2019 को अर्थात करीब 4 वर्ष एक माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। हालांकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, किन्तु इतने वर्षो के विलम्ब का जो कारण बताया है वह न तो उचित है एवं न ही पर्याप्त, जबकि देरी से अपील प्रस्तुत करने के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती चांदी पत्नी हरिराम बलाई (सालवी), नि. मुरडा हाल सालेरा, तह.सहाडा, जि. भीलवाडा व अन्य बनाम **अम्बालाल पिता टेका बलाई, निवासी मुरडा, तह. आमेट, जिला राजमसन्द**

अपील नं.....**37 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **आमेट** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**06**.....माह.....**07**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री आर.एल. रावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2015 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 15:53:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: